यालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

ग्रा–16/2022
प्रविष्टि दिनांक–18.01.2022
देनांक–04.09.2024

पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी ग्राम ककराज खुर्द तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी ग्राम ककराज खुर्द तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
ाल पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी ग्राम ककराज खुर्द तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

ीलदार, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
ल पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी ग्राम ककराज खुर्द तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
ाल पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी ग्राम ककराज खुर्द तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् शीट दुरूस्ती, तरमीम दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज. टि. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 रकबा 1.2645 हैक्ट. साबिक ख0न0 74 रकबा 05–00 बीघा वाके ग्राम ककराज खुर्द दिनांक 15.09.1971 ागण के पिता चतरा पुत्र चन्द्रा के नाम आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया था। उक्त वर्णित भूमि की नक्शा गलत रूप से तरमीम कर दी गई है तथा जहां कब्जा है तथा जहां पटवारी हल्का ने चतरा को कब्जा ा। उसके अनुसार तरमीम शीट में होनी चाहिए थी, परन्तु हाल ख0न0 529/3 रकबा 1.2645 हैक्ट. की वर्तमान शीट में गलत दिखा दी गई है। वादीगण अपने पिता के देहान्त के बाद उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक है और काश्त कर रहे है। मौके पर बने हुए खेत व कब्जे के अनुसार तरमीम नही होने से आज की स्थिती में आस पास के लोग परिवर्तन करना चाहते है। जिससे वादीगण को अपार हानि की संभावना हो तथा काश्त करने में परेशानी आ रही है। ख0न0 529 की तरमीम मोके पर काश्तकारो के कब्जे के नही की गई है। वादीगण भूमिहीन, अनुसूचित जाति के काश्तकार लोग है। जिनको अपनी भूमि पर रहकर काश्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। वर्तमान शीट मे ख0न0 529/3 को गलत स्थान पर दिया है। जबकि मौके की जांच करवायी जाकर वादीगण के कब्जेकाश्त व भौतिक रूप से विद्यमान खेत के

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

रमीम करवाया जाना तथा वर्तमान नक्शा शीट में दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। वादीगण अनपढ़ ोग है, जो राजस्व रिकॉर्ड तथा कानून से अनभिज्ञ है। वादीगण ने तरमीम दुरूस्ती के लिए कई बार धकारीयो से निवेदन किया, परन्तु इनकी कोई सुनवाई नही हुई। अतः दावा बहक वादीगण विरूद्ध ण डिक्री किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 529/3 रकबा 1.2645 हैक्ट. वाके ग्राम ककराज खुर्द तह0 ला टोंक की वर्तमान शीट में की गयी तरमीम दुरूस्त की जाकर मौके पर कब्जे व बने हुए खेत के था भौतिक स्थिती के अनुसार शीट में तरमीम करवायी जावे।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी की गई एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर क्ता श्री हरिनारायण गुर्जर ने वकालतनामा व इकबाली जवाब पेश कर वाद वादीगण डिक्री किये जाने में हमति जाहिर की। तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक स्तुत कर निवेदन किया की भूमि आराजी ख0न0 529/3 रकबा 1.2645 हैक्ट. साबिक ख0न0 74 रकबा ा ग्राम ककराज खुर्द में प्रार्थी चतरा पुत्र चन्द्रा जाति बैरवा निवासी ककराज खुर्द के नाम दिनांक 15.09. । उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा आवंटन किया गया था। उपरोक्त वर्णित भूमि का वर्तमान नक्शा शीट में प से तरमीम की गई है। मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नही की गई है। मुताबिक वर्तमान आराजी ख0न0 529/3 में प्रार्थीगण का कब्जा लगभग 0.9200 हैक्ट. भूमि में है। उक्त तरमीम में शेष े 0.3445 हैक्ट. भूमि पर अन्य लोगो का कब्जा है। प्रार्थी का वर्तमान तरमीम 529/1 में लगभग उतनी 45 हैक्ट. भूमि पर कब्जा है।

वादी ने बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। वादी ने दौराने बहस वादपत्र में अंकित तथ्यों का करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 529/3 रकबा 1.2645 हैक्ट. साबिक ख0न0 74 रकबा 05–00 ाके ग्राम ककराज खुर्द दिनांक 15.09.1971 को वादीगण के पिता चतरा पुत्र चन्द्रा के नाम आवंटन कर सुपुर्द किया था। उक्त वर्णित भूमि की नक्शा शीट में गलत रूप से तरमीम कर दी गई है तथा जहां है तथा जहां पटवारी हल्का ने चतरा को कब्जा दिया था। उसके अनुसार तरमीम शीट में होनी चाहिए थी, हाल ख0न0 529/3 रकबा 1.2645 हैक्ट. की तरमीम वर्तमान शीट में गलत दिखा दी गई है। वादीगण पेता के देहान्त के बाद उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है और काश्त कर रहे है। मौके पर बने हुए खेत े के अनुसार तरमीम नही होने से आज की वर्तमान स्थिती में आस पास के लोग परिवर्तन करना चाहते ससे वादीगण को अपार हानि की संभावना हो गयी है तथा काश्त करने में परेशानी आ रही है। ख0न0 की तरमीम मोके पर काश्तकारो के कब्जे के अनुसार नही की गई है। अतः दावा बहक वादीगण विरूद्ध दीगण डिक्री किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 529/3 रकबा 1.2645 हैक्ट. वाके ग्राम ककराज खुर्द तह0 जिला टोंक की वर्तमान शीट में की गयी तरमीम दुरूस्त की जाकर मौके पर कब्जे व बने हुए खेत के र तथा भौतिक स्थिती के अनुसार शीट में तरमीम करवायी जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार पीपलू ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 529/3 रकबा 1.2645 हैक्ट. ख0न0 74 रकबा 5.00 बीघा ग्राम ककराज खुर्द में प्रार्थी चतरा पुत्र चन्द्रा जाति बैरवा निवासी ककराज नाम दिनांक 15.09.2071 को उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा आवंटन किया गया था। उपरोक्त वर्णित भूमि न नक्शा शीट में गलत रूप से तरमीम की गई है। मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नही की गई बेक वर्तमान तरमीम आराजी ख0न0 529/3 में प्रार्थीगण का कब्जा लगभग 0.9200 हैक्ट. भूमि में है। मीम में शेष बची भूमि 0.3445 हैक्ट. भूमि पर अन्य लोगो का कब्जा है। प्रार्थी का वर्तमान तरमीम 529/1 । उतनी ही 0.3445 हैक्ट. भूमि पर कब्जा है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत नक्शा शीट एवं प्रतिवादी तहसीलदार पीपलू के जवाब के न किया गया। साथ ही उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट से स्पष्ट है की 0न0 529/1 में रकबा 0.3445 हैक्ट. भूमि की तरमीम संशोधन चाहता है। उक्त खसरा नम्बर पर अन्य ा भी कब्जा काश्त होना बताया गया है। जिनको प्रस्तुत वाद में पक्षकार भी नही बनाया गया है। दार पीपलू के जवाब में ऐसा कही उल्लेख नही किया है, की उक्त तरमीम में राजस्व कर्मचारियो द्वारा रित की हो। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे उक्त तरमीम में द्ध होती है। केवल मात्र प्रार्थी प्रतिकुल कब्जे के आधार पर तरमीम संशोधन चाहता है, जो की न्यायोचित । अतः उक्त विवेचना के आधार पर अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया त्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)